बिहार सरकार

अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय

(योजना एवं विकास विभाग)

का०आ०सं०–स्था०1/नि०1–103/2014 147 पटना, दिनांक: 12-04-18

कार्यालय आदेश

श्री प्रमोद कुमार चौबे, तत्कालीन अंचल अधिकारी, कुदरा, कैमूर संप्रति अन्वेषक, जिला सांख्यिकी कार्यालय, भोजपुर(आरा) के विरूद्ध राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 385(नि०को०)/रा० दिनांक 03.07.2014 के साथ संलग्न जिला पदाधिकारी,कैमूर (भभुआ) के पत्रांक 592/स्था० दिनांक 11.03.2014 द्वारा समर्पित आरोप प्रपत्र 'क' के आलोक में निदेशालय के का०आ०सं० 51 सहपठित ज्ञापांक 350 दिनांक 24.03.2015 द्वारा श्री प्रमोद कुमार चौबे पर बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 17 के तहत विभागीय कार्यवाही प्रारंभ की गयी। इस विभागीय कार्यवाही में अपर समाहर्त्ता (विभागीय जॉच), कैमूर (भभुआ) को संचालन पदाधिकारी तथा जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, कैमूर (भभुआ) को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

2 प्रभारी अपर समाहर्त्ता (विभागीय जॉच), कैमूर(भभुआ) के पत्रांक 34/वि०जॉ०शा० दिनांक 20.02.2017 द्वारा श्री प्रमोद कुमार चौबे के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही में जॉच प्रतिवेदन समर्पित किया गया है। समर्पित जॉच प्रतिवेदन में संचालन पदाधिकारी ने आरोपी श्री प्रमोद कुमार चौबे के स्पष्टीकरण एवं प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी के मंतव्य के समीक्षोपरान्त निष्कर्ष दिया है कि आरोप संख्या 02 एवं 03 प्रमाणित नहीं होता है। आरोप संख्या 01, 04, 05 एवं 06 के संबंध में संचालन पदाधिकारी का निष्कर्ष है कि

आरोप संख्या –01– मौजा डंगरी अवस्थित खाता सं०–76,77 बिहार सरकार एवं अनावाद सर्वसाधारण भूमि का निदेशक, चकबंदी निदेशालय, बिहार, पटना के आदेश के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय में अंचलाधिकारी द्वारा नियमानुकूल अपील दायर की जानी चाहिए थी, लेकिन रैयतों के पक्ष में आपके द्वारा लगान निर्धारण की अनुशंसा की गयी। चूँकि अंचलाधिकारी अपने अंचल अंतर्गत सभी प्रकार की सरकारी भूमियों का संरक्षक होता है। इस नाते उसे हर हालत में सरकारी भूमि की रक्षा करने का दायित्व होता है, लेकिन आरोपी पदाधिकारी द्वारा चकबंदी निदेशक, बिहार, पटना द्वारा चकबंदी पुनरीक्षण वाद संख्या–209/10 में पारित आदेश दिनांक 04.07.2011 के आलोक में चकबंदी पदाधिकारी, कुदरा द्वारा हाल में सर्वे खाता संख्या 77, 78 अनावाद बिहार सरकार, अनावाद सर्व साधारण की भूमि का खाता विपिन बिहारी तिवारी एवं उनके भाई के नाम से संधारित करने के पश्चात् आपके द्वारा भी उपरोक्त दोनो खाताओं की भूमि का जमाबंदी विपिन बिहारी तिवारी एवं उनके भाई के पक्ष में आपके द्वारा स्वयं स्थल निरीक्षण करने के पश्चात भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, मोहनियॉ को अनुशंसति किया गया। आपका यह कथन सर्वथा गलत है कि निदेशक, चकबंदी, बिहार, पटना का आदेश मानने को बाध्य है। बल्कि आपका यह प्रथम दायित्व बनता था कि ज्योहीं आपके सामने उपरोक्त दोनों खाताओं की भूमि के संबंध में चकबंदी पदाधिकारी द्वारा तैयार चक विपिन बिहारी तिवारी एवं उनके भाई के पक्ष में चक खाता सुधार कर आपके समक्ष उसका जामाबंदी सुधार करने का आवेदन दिया गया तो आपका यह दायित्व बनता था कि उसकी सूचना बिना देर किये अपने वरीय पदाधिकारियों को देना चाहिए था, और सरकारी भूमि का संरक्षक होने के नाते तत्काल मामले की पूरी छान–बीन कर उक्त चकबंदी, निदेशक, बिहार, पटना द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध तत्काल माननीय उच्च न्यायालय में

याचिका दायर करने की कार्रवाई की जानी चाहिए थी। किन्तु ऐसा आपके द्वारा न कर अपने पदीय कर्त्तव्यों का दुरूपयोग करते हुए सरकारी भूमि का लगान निर्धारण करने की अनुशंसा भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, मोहनियॉ को कर दी गयी। इस प्रकार यह आरोप आपके विरूद्ध पूरी तरह प्रमाणित होता है।

आरोप संख्या–04 :– दिनांक 21.12.2013 को समाहर्त्ता, कैमूर द्वारा अंचल कार्यालय, कुदरा के निरीक्षण के क्रम में वर्ष 2007–08 से 2012–13 तक के अतिक्रमण पंजी निर्धारित प्रपत्र में विधिवत् संधारित नहीं रहने का आरोप लगाया गया है। आरोपी पदाधिकारी का कहना है कि मेरा पदस्थापन वर्ष 2010 अप्रैल में हुआ था और इसके पूर्व अतिक्रमण पंजी संधारित नहीं थी। सहायकों की कमी एवं कार्य के बोझ के चलते अतिक्रमण पंजी संधारित नही करा सका। तत्कालीन अंचलाधिकारी को निरीक्षण के क्रम में विशेष अभिरूची लेकर पंजी को संधारित कराया जाना चाहिए था। इस प्रकार यह आरोप आंशिक रूप से प्रमाणित होता है।

आरोप संख्या–05 :– दाखिल–खारिज वाद संख्या 500/2009–10 मौजा डाईनडिह में अंचलाधिकारी, कुदरा द्वारा अपने ही पारित आदेश के विरूद्ध नया अभिलेख खोलकर पूर्व के अस्वीकृत आदेश को पुनरीक्षित करते हुए स्वीकृत किया गया, जो दाखिल–खारिज अधिनियम की धारा 08 का उल्लंधन है। चूँकि आपको अपने समकक्ष पदाधिकारी द्वारा पारित आदेश पुनरीक्षण करने का अधिकार प्राप्त नहीं है। ब्यथित व्यक्ति को उपरी न्यायालय में अपील करने की सलाह देनी चाहिए थी। परन्तु आपके द्वारा नहीं की गयी। आपकी गलत मंशा है। इस प्रकार आरोप प्रमाणित होता है।

आरोप संख्या–06 :– विपिन बिहारी तिवारी, ग्राम+पोस्ट–भभुआ द्वारा समाहर्त्ता–सह–जिला दंडाधिकारी, कैमूर के न्यायालय में जमाबंदी रद्दीकरण वाद संख्या04/2013–14 दायर किया गया है। मौजा डंगरी के थाना संख्या–400, सी०एस०खाता संख्या–50 वो 51 वादी के पूर्वज का जायदात जमीन्दारी उन्मूलन से पहले का था। हाल सर्वे खाता संख्या–76 वो 77 गलती से अनावाद बिहार सरकार सर्वसाधारण हो गया था, जिसका सुधार सर्वे अधिकारी द्वारा किया गया था। उक्त भूमि का गलत चक खाता–04 वो खेसरा–06 तैयार कराया गया है तथा पंजी II में दिनांक 22.06.2012 को राजस्व कर्मचारी के प्रतिवेदन के आधार पर बिना गहन जॉच किये आदेश पारित कर जमाबदी कायम किया गया है एवं लगान रसीद निर्गत करने हेतु ओदश पारित किया गया। चूँकि अंचलाधिकारी सरकारी भूमि के संरक्षक होते है अपने पद पर आसीन रहते हुए राजस्व कर्मचारी/अंचल निरीक्षक के जॉच प्रतिवेदन को गहन छान–बीन एवं सरकारी निदेश/परिपत्रों के आलोक में विधि सम्मत कार्रवाई किया जाना चाहिए था। किन्तु आरोपी पदाधिकारी द्वारा ऐसा न करके उक्त भूमि का आदेश पारित कर जमाबंदी कायम करने /लगान रसीद निर्गत किया गया। इस प्रकार आरोप प्रमाणित होता है।

3. बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–18 में किये गये प्रावधान के तहत संचालन पदाधिकारी के आरोप प्रमाणित पाये जाने के प्रतिवेदन पर श्री प्रमोद कुमार चौबे से अभ्यावेदन प्राप्त किया गया। अपने अभ्यावेदन में श्री चौबे ने यह उल्लेख किया है कि (i) उनके द्वारा नियम का अनुपालन किया गया है एवं वरीय पदाधिकारी से मंतव्य के पश्चात् ही रसीद काटने की कार्रवाई की गयी है। (ii) उनके पूर्व के अतिक्रमण पंजी संधारित नहीं था एवं अंचल कार्यालय में पदस्थापित कुल सात सहायकों में से तीन सहायक अन्य कार्यालयों में प्रतिनियुक्त थे। (iii) दाखिल खारिज वाद संख्या–500/2009–10 मौजा–डायनडीह उनके कुदरा पदस्थापन से पूर्व के वर्ष 2009–10 में अस्वीकृत था जिसकी जानकारी उन्हें नहीं थी। हल्का कर्मचारी द्वारा आवेदक के पक्ष में अनुशंसा के चलते आवेदन–पत्र स्वीकृत हो गया। (iv) चकबंदी

न्यायालय द्वारा पारित आदेश को हल्का कर्मचारी के प्रतिवेदन पर उनकी अनुसंशा के साथ भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, मोहनियाँ द्वारा जमाबंदी खोलने का आदेश पारित था। दीनदयाल बिन्द को जमाबंदी खोला गया वह विपीन बिहारी तिवारी एवं अन्य द्वारा दावा किये गये रकवा से परे है।

इस प्रकार उनके द्वारा उन्हीं तथ्यों का उल्लेख किया गया है जो इन्होंने संचालन पदाधिकारी के समक्ष अपने स्पष्टीकरण में दिया था जिस पर विचारोपरांत संचालन पदाधिकारी द्वारा जाँच प्रतिवेदन दिया गया है।

चूँकि अंचलाधिकारी सरकारी भूमि के संरक्षक होते हैं, इसलिए अपने पद पर आसीन रहते हुए राजस्व कर्मचारी/अंचल निरीक्षक के जाँच प्रतिवेदन को गहन छान–बीन एवं सरकारी निदेश/परिपत्रों के आलोक में विधि सम्मत कार्रवाई किया जाना चाहिए था, जो इनके द्वारा नहीं किया गया। अतः इनका स्पष्टीकरण स्वीकार योग्य नहीं है।

4. संचालन पदाधिकारी के मंतव्य से सहमत होते हुए अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री प्रमोद कुमार चौबे पर संचयी प्रभाव के बिना दो वेतनवृद्धि रोकने का दंड अधिरोपित करने का निर्णय लिया गया है।

5. अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार श्री प्रमोद कुमार चौबे, तत्कालीन अंचलाधिकारी, कुदरा कैमूर (भभुआ) सम्प्रति अन्वेषक, जिला सांख्यिकी कार्यालय, भोजपुर (आरा) पर बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 14 में किये गये प्रावधानों के तहत संचयी प्रभाव के बिना दो वेतनवृद्धि रोकने का दंड अधिरोपित एवं संसूचित किया जाता है।

ह०/–
(पूनम)
निदेशक

ज्ञापांक :– स्था०1/नि०1–103/2014 867 पटना, दिनांक : 12.04.18

प्रतिलिपि :– सचिव के आप्त सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना।

2. अपर सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना।
3. जिला पदाधिकारी, कैमूर (भभुआ)/भोजपुर(आरा)।
4. कोषागार पदाधिकारी, कैमूर(भभुआ)/भोजपुर (आरा)।
5. जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, कैमूर (भभुआ)/ भोजपुर(आरा)।
6. श्री सुदामा कुमार, आई०टी०मैनेजर, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को निदेशालय के वेब–साईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।
7. श्री प्रमोद कुमार चौबे, तत्कालीन अंचलाधिकारी, कुदरा, कैमूर(भभुआ) संप्रति अन्वेषक, जिला सांख्यिकी कार्यालय, भोजपुर (आरा)

को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

12/4/18
निदेशक

02739 स्था0 1 (24 नवबर 2017) प्रमोद कुमार चौबे.